संख्या-31/2020/2579/22-2-2019-17(1087)/19

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2020***

विषय:- जिला कारागार, मेरठ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जुगल किशोर पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी जनपद-मेरठ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक-06-08-2019 दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी जुगल किशोर पुत्र श्री सोहन लाल, जो सोफीपुर, थाना-दौराला, जनपद-मेरठ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा आपसी वाद-विवाद को लेकर दिनांक 04.09.2009 को दांव से हमला कर 01 व्यक्ति की आंख खराब कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-964/2015 में भा0द0वि0 की धारा-326, 324, 404 के अन्तर्गत मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-10, मेरठ के आदेश दिनांक 22.02.2016 द्वारा 05 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या में समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अपराध कारित कर सकने, समयपूर्व रिहाई के उपरान्त भी अपराध करने से इंकार न किये जाने की सम्भावना होने, की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जुगल किशोर (बन्दी संख्या-466/2016) पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी जनपद-मेरठ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-31/2020/2579(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in